न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 58/2018
मियाद प्रार्थना पत्र संख्या – 30/2024

श्रीमति गायत्री देवी

.....प्रार्थी

बनाम

श्रीमति तौफी व अन्य

.....अप्रार्थीगण

अन्तर्गत धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र

उपस्थित :–1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शशिकान्त जोशी, वकील अप्रार्थीगण की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक–24.06.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील अजमेर (हाल पीसांगन) जिला अजमेर के राजस्व ग्राम गोविन्दगढ स्थित कृषि भूमि चौसाला खसरा संख्या 1433 रकबा 01–16–10 बीघा किस्म बारानी–3 में से रकबा 00–05–00 बीघा का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 31 के अन्तर्गत रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पति/पिता आवंटी श्री रामसिंह पुत्र श्री गोरधनसिंह, जाति दरोगा, निवासी ग्राम गोविन्दगढ, तहसील अजमेर के पक्ष में आवंटन आदेश दिनांक 07.04.1970 से आवंटन कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा तहसीलदार अजमेर के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 07.04.1970 से असंतुष्ट होकर यह अपील मय धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर अधीनस्थ न्यायालय का संबंधित रेकार्ड मंगवाया गया व रेस्पोन्डेन्ट्स के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 जरिये वकील उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

उभयपक्ष के वकील उपस्थित हुए। बहस प्रारंभ होने से पूर्व वकील रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 ने मियाद के बिन्दु पर प्रारम्भिक ऐतराज दर्ज करवाते हुए धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपील बाद भारी मियाद लगभग 48 वर्षो की देरी से प्रस्तुत की गई है। अतः अपील भारी मियाद बाहर होने से निरस्त योग्य है। वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत कथनों का विरोध करते हुए वकील अपीलान्ट ने न्यायालय का ध्यान धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि अपीलान्ट को आक्षेपीय आदेश की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 27.06.2018 को

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

चौसाला जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर हुई एवं उसी दिन आवंटन आदेश की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिनांक 28.06.2018 को प्रतिलिपि प्राप्त कर तत्पश्चात अन्य दस्तावेज व राजस्व भू–अभिलेख की प्रतियां प्राप्त की गई। रेस्पोन्डेन्टस द्वारा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है कि अपीलार्थिया को आवंटन आदेश की जानकारी रही हो एवं समयावधि में अपील प्रस्तुत नहीं की हो। उक्त आवंटन के समय ना तो अपीलार्थिया उपस्थित थी ना ही उन्हे कोई नोटिस दिया गया तथा ना ही अपीलार्थिया पक्षकार रही है। इस कारण अपीलान्ट को कोई जानकारी होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना पत्र में पर्याप्त व संतोषजनक कारण बताया है एवं जानकारी होते ही समयावधि में अपील प्रस्तुत कर दी गई। उनका कथन है कि टिनेन्सी गवर्नमेन्ट रूल्स के अनुसार ग्राम पंचायत गोविन्दगढ को ग्राम पंचायत में नीहित ग्राम की आबादी भूमि का वर्णित नियमों के तहत आवंटन का क्षेत्राधिकार प्राप्त था। तहसीलदार अजमेर द्वारा कृषि भूमि का रिहायशी आवंटन क्षेत्राधिकार के बाहर किया जाकर क्षेत्राधिकार विहीन अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। ऐसे क्षेत्राधिकार विहीन शून्य अविधिक आवंटन आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत किये जाने हेतु कोई समयसीमा निर्धारित नहीं होती है एवं मियाद के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान RLW (RJ) 2007(2) पेज 1144 व R.R.T. 2018(1) पेज 186 में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर व मान0 राज0 उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया जिसमें क्रमशः उद्धृत किया गया है कि **"उपखण्ड अधिकारी का आदेश अवैध था – जब न्यायालय को कोई आदेश पारित करने की अधिकारिता ही नहीं हो तो परिसीमा के बिन्दु की अवहेलना की जानी चाहिये"** एवं B- Delay is not fatal when the mutation is illegal. इसके साथ ही उन्होने हमारा ध्यान R.B.J. 1999 पेज 158, R.B.J. 2019 पेज 69, R.B.J. 2016 पेज 679, R.B.J. 2017 पेज 274 व R.B.J. 2006 पेज 127 में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। अन्त में उन्होने कथन किया कि उपरोक्त कारणों से अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित की जावे।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कथनों के जवाबुल जवाब में वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 6 ने कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत समस्त कथन आधारहीन है। उनका कथन है कि आक्षेपीय आदेश दिनांक 07.04.1970 को पारित किया गया है जबकि अपीलान्ट द्वारा अपील दिनांक 17.07.2018 को प्रस्तुत की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की अवधि धारा 228(1) में 30 दिन की विहित की हुई है, प्रावधान इस प्रकार है –

228. Limitation for appeals ;-

(1) No appeal to the Collector Shall be brought after the expiration of thirty days from the date of the decree or order complained of.

इस प्रकार अपील निर्धारित परिसीमा अवधि से अत्यधिक मियाद बाहर जाकर लगभग 5 दशक अर्थात 48 वर्षों की निराशाजनक देरी (Hopeless Delays) से बतौर तृतीय पक्ष पेश की गई है। अत्यधिक देरी किसी भी सूरत में क्षम्य की जाना न्यायसंगत नहीं है। अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद प्रार्थना पत्र में जानकारी का स्त्रोत/दिनांक एक रूटिन के तहत सर्वाधिक दर्ज किया जाने वाला कारण अंकित किया है कि "उसे जानकारी तहसील कार्यालय से दिनांक

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

02.06.2018 को जमाबन्दी प्राप्त करने पर आवंटन आदेश दिनांक 07.04.1970 की जानकारी हुई" प्रश्नगत आराजी रेस्पोन्डेन्ट्स के पति/पिता को दिनांक 07.04.1970 को आवंटित हुई एवं अपीलार्थिया ने विवादग्रस्त आराजी के पास स्थित अन्य खसरा संख्या 2354 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2009 को विक्रेता श्री भंवरलाल से 33/142 हिस्सा क्रय किया है। विधि की यह सुस्थापित स्थिति है कि धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र कोई औपचारिक प्रार्थना पत्र नहीं होता है बल्कि प्रार्थना पत्र में देरी को क्षम्य किये जाने बाबत दर्ज दिन प्रतिदिन के कारण सच्चे, विश्वसनीय, संतोषजनक, युक्ति–युक्त एवं पर्याप्त होने चाहिये, जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कोई Sufficient Cause दर्शित एवं अंकित नहीं किये गये हैं। अपने कथनों के समर्थन में उन्होने हमारा ध्यान R.B.J. 2010 पेज 289 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत की ओर आकर्षित किया, दृष्टांत का सुसंगत पैरा है– INDIAN LIMITATION ACT, 1963 - Section – When there is no sufficient cause shown for not filling the appeal within time, delay of three days cannot be condoned. This appeal is barred by three days and learned Counsel for the appellant has filed an application under section 5 of the Limitation Act for condonation of delay. No sufficient cause has been shown in the application for not filing appeal within time. Hence, the application under section 5 of the Limitation Act as well as this appeal is hereby dismissed. **Appeal Dismissed.** अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र एक रूटिन मेटर के तहत संक्षिप्त तरीके से केवल मात्र प्रथम अपील को रंगत देने हेतु औपचारिकता के तौर पर प्रस्तुत किया है। अपीलान्ट द्वारा आक्षेपित आवंटन आदेश प्रारम्भ से शून्य एवं क्षेत्राधिकार विहीन होने के तथ्य बिना किसी तर्क सम्मत कारण के केवल मात्र अपने प्रार्थना पत्र को बल देने हेतु दर्ज किये गये हैं जिनका कोई विधिक औचित्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होने हमारा ध्यान R.B.J. 2004 पेज 327 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एवं R.B.J. 2005 पेज 132, R.B.J. 2009 पेज 208 व R.B.J. 2016 पेज 572 में माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित किया। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अत्यधिक विलम्ब से पेश होने के कारण भारी मियाद बाहर होने से प्रथमदृष्टया ही निरस्त योग्य है।

हमने मियाद बिन्दु पर उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को पर ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपील बाद भारी मियाद लगभग 48 वर्षो की देरी से प्रस्तुत की गई है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत करने की अवधि धारा 228(1) में 30 दिन का प्रावधान किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में विलम्ब का कोई सन्तोषप्रद, युक्तियुक्त व पर्याप्त कारण नहीं दिया गया है जबकि मियाद प्रार्थना पत्र में दिन प्रतिदिन का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है। हम वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के इन कथनों से सहमत हैं कि धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र कोई औपचारिक प्रार्थना पत्र नहीं होता है बल्कि प्रार्थना पत्र में देरी को क्षम्य किये जाने बाबत दर्ज दिन प्रतिदिन के कारण सच्चे, विश्वसनीय, संतोषजनक, युक्ति–युक्त एवं पर्याप्त होने चाहिये, जबकि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विलम्ब के कोई Sufficient Cause दर्शित एवं अंकित नहीं किये गये हैं। हम वकील रेस्पो0 संख्या 1 से 6 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों से सहमत हैं। रेस्पो0 संख्या 1 से 6 के पति/पिता को प्रश्नगत आराजी का आवंटन दिनांक 07.04.1970 को किया गया है किन्तु अपीलान्ट द्वारा विचाराधीन अपील दिनांक 17.07.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी के समीप

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर
सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर
अजमेर

स्थित अन्य खसरा संख्या 2354 में जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.07.2009 को विक्रेता श्री भंवरलाल से 33/142 हिस्सा क्रय किया गया है। इससे प्रतीत होता है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजी के समीप क्रय की गई अन्य भूमि के कारण अपील प्रस्तुत किये जाने की स्थिति उत्पन्न हुई है।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में मियाद प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाकर अपील मियाद के स्तर पर ही निरस्त की जाती है।

आदेश सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर
अजमेर

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर, अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *
सत्यमेव जयते